13.12.2025

न्यायालय पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क्रमांक 11 नेशनल लोक अदालत/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विनय जैन विजयपुर जिला श्योपुर म0प्र0।

प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विनय जैन विजयपुर के न्यायालय से राजीनामा हेतु प्रेषित होकर प्राप्त।

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

अभियुक्तगण द्वारा अधिवक्ता श्री बी.एम. शर्मा उपस्थित।

प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है।

फरियादी सुनील व आहत रीनेश द्वारा स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा होना व्यक्त करते हुए राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। फरियादी ने पहचान के संबंध में आधार कार्ड प्रस्तुत किये हैं।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 294, 323 या 323/34—दो काउण्ट, 506 भाग—2 के तहत् अपराध का आरोप है। उक्त अपराध शमनीय प्रकृति के है। आहतगण ने बिना किसी डर दबाव व भय के स्वेच्छयापूर्वक अभियुक्तगण से राजीनामा होना स्वीकार किया है। राजीनामा स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

अतः उभयपक्षों के मध्य विवाद समाप्त हो जाने से तथा राजीनामा उभयपक्षों के हित में होने से राजीनामा स्वीकार किया जाता है।

राजीनामा के आधार पर अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 294, 323 या 323/34—दो काउण्ट, 506 भाग—2 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण के जमानत व मुचलके, यदि कोई हो, भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति तीन डण्डे मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान निरोध में व्यतीत की गयी अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण तैयार किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख विधिवत

अभिलेखागार भेजा जावे।

Vinay Jain

Digitally signed by Vinay Jain
Date: 2025.12.13 13:34:24 +0530

विनय जैन

पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क्रमांक 11
नेशनल लोक अदालत विजयपुर
जिला श्योपुर म0प्र0

सदस्यः—1. श्री दलेल सिंह धाकड़ अधिवक्ता।